अति महत्वपूर्ण

पत्रांकः 2प / वि0–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांकः 30 / 4 / 2026

विषय : **Solid Waste Management Rules, 2026 के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जन–जागरूकता हेतु मई माह में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के संबंध में।**

प्रसंगः **बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पत्रांक–644 दिनांक 20.04.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 अधिसूचित किये गये हैं, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी है।

संदर्भित मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 6174/2023 Bhopal Municipal Corporation vs. Dr. Subhash C. Pandey & Ors. में दिनांक 19.02.2026 को एक आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Solid Waste Management Rules. 2026 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया है।

इस संदर्भ में पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष ग्राम सभा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा के दौरान चर्चा हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के प्रमुख बिंदु का निम्नवत् अनुपालन किया जाना हैः–

- **कचरे का चार धारा पृथक्करण (Four-Stream Segregation)**: प्रत्येक रविवार को कचरे को चार श्रेणियों में यथा गीला (जैविक), सूखा (पुनर्चक्रण योग्य), सैनिटरी (डायपर नैपकिन आदि) और विशेष देखभाल कचरा (इलेक्ट्रॉनिक, दवाईयां आदि) में बांटना अनिवार्य है।
- **खुले में कचरा फेकने एवं जलाने पर पूर्ण प्रतिबंधः** गलियों, नालियों या जल निकायों में कचरा फेंकना और कचरे को खुले में जलाना दंडनीय अपराध है।
- **गीले कचरे का ऑन–साइट प्रसंस्करण**: ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाये कि वे जैविक कचरे से खाद्य (Composting) तैयार करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रणालियाँ विकसित करें।

- **उपभोक्ता शुल्क (User Fee):** नियमावली, 2026 के अनुसार कचरा संग्रहण सेवाओं तथा प्रबंधन के लिए नागरिकों द्वारा निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

- **बल्क वेस्ट जेनरेटर (BWG) की जिम्मेदारी**: गांव के भीतर स्थित संस्थान, बाजार या बड़े आयोजन स्थल अपने कचरे के प्रबंधन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। पंचायत में थोक अपशिष्ट उत्पादकों को चिन्हित करना।

- **पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए आधारभूत संरचनाओं का आकलन।**

- **जनप्रतिनिधियों की भूमिका:** वार्ड सदस्यों और मुखिया को कचरा पृथक्करण के लिए लीड फसिलिटेटर के रूप में कार्य करना।

अतः अनुरोध है कि सभी ग्राम पंचायतों में मई, 2026 में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने हेतु अपने स्तर से रोस्टर तैयार कर सभी ग्राम पंचायतों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 30/4/26

अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०–17–06/2026/6695/पं०रा० पटना, दिनांकः 30/4/2026

प्रतिलिपि: सदस्य सचिव, बिहार राज्य पदूषण नियंत्रण पर्षद्, बिहार, पटना का पत्रांक–644 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26

अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०–17–06/2026/6695/पं०रा० पटना, दिनांकः 30/4/2026

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26

अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०–17–06/2026/6695/पं०रा० पटना, दिनांकः 30/4/2026

प्रतिलिपि: उप सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/4/26

अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा० पटना, दिनांक 30 / 4 / 2026
प्रतिलिपि: सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 2प / वि०–17–06 / 2026 / 6695 / पं०रा० पटना, दिनांक 30 / 4 / 2026
प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव